

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2012

क्र. 276.—जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर नियम, 1978 के नियम-9 (1) (बी) अनुसार तथा उसके अनुसार अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की धारा-13 के प्रयोजन के लिये इस बोर्ड में पूर्व प्रसारित आदेश को निरस्त करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार अपीलेंट कमेटी का गठन करता हूँ—

- | | |
|--|---------|
| 1. डॉ. एन. पी. शुक्ला, अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल. | अध्यक्ष |
| 2. श्री हरभजन शिवहरे,
ई-8/21, भरत नगर, भोपाल. | सदस्य |
| 3. श्री प्रभात साहू, महापौर,
नगर पालिक निगम, जबलपुर. | सदस्य |

यह अधिसूचना सर्व-सम्बंधित की सूचना के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कराई जावेगी.

एन. पी. शुक्ला,
अध्यक्ष.

(285-बी.)